



भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं० १०/१५-१६

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	आवेदक श्री/श्रीमती <u>मालती पुरती</u> पिता/पति <u>श्री चन्द्रमोहन पुरती</u> ग्राम <u>वाडी</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> थाना <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया है कि अपनी <u>चिडित्सा</u> के लिए अपने खतियानी जमीन मौजा <u>तिरुन्नाम्पी</u> थाना नं० <u>७५</u> खाता नं० <u>५७</u> प्लॉट नं० <u>१८३</u> रकवा <u>०.०५२०</u> क्रेता श्री/श्रीमती <u>मनोज कुमार सिजुडि</u> पिता/पति <u>श्री सोमवान सिजुडि</u> ग्राम <u>तिरुन्नाम्पी</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> थाना <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तहार किया गया। अंचल अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जाने वाली जमीन आवेदक/आवेदिका <u>मालती पुरती</u> पिता <u>श्री चन्द्रमोहन पुरती</u> के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास मो० <u>६५००००/-</u> रुपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में <u>चक्रधर मंडल</u>, <u>मालती पुरती</u> पिता <u>चन्द्रमोहन मंडल</u> के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध <u>स्वयं</u> का है। जमाबन्दी पंजी ॥ में खाता रैयत <u>मालती पुरती</u> पिता <u>श्री चन्द्रमोहन पुरती</u> के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" के अनुसार आवेदक बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना <u>चक्रधरपुर</u> के निवासी है तथा <u>अनु० ५० तारि "हो"</u> समुदाय के सदस्य है। ✓ 46(i) प्रोभिजो "बी" के अनुसार बिक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला क्रमशः <u>प० सिंहभूम</u> एवं <u>चक्रधरपुर</u> अंचल के निवासी है तथा <u>अनु० ५० तारि "हो"</u> समुदाय के सदस्य है। आवेदक उक्त वर्णित कारणों से जमीन को बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि को बिक्री के बाद जीविकोपार्जन हेतु ग्राम <u>—</u> खाता/अन्य खाता <u>५७</u> प्लॉट संख्या <u>—</u> में रकवा <u>३.१२.१३५</u> अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> ने अपने कार्यालय पत्रांक <u>४१०(B)</u>	



दिनांक 19-05-16 के द्वारा उक्त भूमि का बिक्री हेतु अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी
 चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्ताहार प्रतिवेदन पर आपत्ति प्राप्त
 नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता
 श्री/श्रीमती मनोज कुमार सिन्हा
 पिता/प्रति श्री सोमनाथ सिन्हा ग्राम तिखाम्पी
 पोस्ट चक्रधरपुर थाना चक्रधरपुर जिला प० सिंहभूम के
 पास में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत बिक्री
 द्वारा जमीन हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

लेखापित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 पोडाहाट, चक्रधरपुर

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
 पोडाहाट, चक्रधरपुर